समाहरणालय, सहरसा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या–04/2020

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1387/आ०प्र०, दिनांक 19.04.2020 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण के रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु संचालित आपदा राहत केन्द्र एवं विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्पों में आवासित व्यक्तियों के लिए सामाग्री क्रय किये जाने की आवश्यकता होगी। इस हेतू निम्नांकित सामग्रियों की आवश्यकतानुसार ससमय आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतू नीचे अंकित शर्त्तों के आधार पर इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी।

निविदादाताओं को जिलाधिकारी, सहरसा के पदनाम से 10000.00 (दस हजार) रुपये की जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता दिनांक **08.05.2020** के अपराह्न 03:00 बजे तक आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा में निविदा दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे जिला पदाधिकारी, सहरसा की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्रीयों की विवरणी :–

क्र०	सामग्रियों का नाम	प्रकार / गुणवत्ता	अन्य विवरणी
1	बाल्टी	**प्लास्टिक एवं स्टील**	**दर प्रति सैकड़ा**
2	मग	प्लास्टिक	**दर प्रति सैकड़ा**
3	थैला	**Covid-19** **Dignity kit** **जिला प्रशासन, सहरसा थैला पर अंकित किया हुआ।**	दर प्रति सैकड़ा
4	मच्छरदानी	सिंगल बेड एवं डबल बेड	**दर प्रति सैकड़ा**

तकनीकी निविदा की आवश्यक शर्त्तें :–

1. निविदा के साथ विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न, जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण–पत्र, पैन नम्बर, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति एवं कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा :–

1. सीलबंद लिफाफे में सभी प्रकार के सामग्री का दर सभी कर सहित स्पष्ट करना आवश्यक होगा।

निविदा की अन्य शर्त्तें :–

1. निविदा में निविदित सामग्रियों की सभी करों सहित दर स्पष्ट रुप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा खोलने के दिन सभी निविदादाता सामग्रियों का नमूना साथ में लायेगें, ताकि उनकी गुणवत्ता आदि की जाँच की जा सके।
3. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, कि वे आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के अन्दर नमूना के अनुरुप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति कर देंगे एवं आवश्यकता के अनुसार सहरसा जिला के सभी 10 (दस) अंचलों के मुख्यालय तक पहुँचा देंगे।

4. आदेशित सामग्रियाँ आपूर्तिकर्त्ता को सभी अंचलों में पहुँचाना होगा। अंचल अधिकारी गुणवत्ता एवं विशिष्टता की जाँचोपरान्त सामग्री प्राप्त करेगें। इसके लिए कोई परिवहन शुल्क या अन्य चार्जेज अलग से देय नहीं होगा।
5. स्वीकृत की गई सामग्री को निविदादाता नमूना के अनुसार सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास सुरक्षित कर लेंगे।
6. सामग्रियों की भंडारण हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
7. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरुप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने या विलंब से आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़ कर शेष निविदादाता की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
10. आपूर्ति की गई सामग्री के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार करों की कटौती कर लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
11. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलंब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
13. जिस आपूर्तिकर्त्ता को उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हो वैसे आपूर्तिकर्त्ता निविदा में भाग ले सकते हैं।
14. निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फार्म काली सूची में शामिल नहीं है।
15. अंकित सामग्रियों का दर गवर्मेंट ई0 मार्केट (GeM) दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
16. विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, सहरसा के बेवसाईट http://saharsa.nic.in पर देखा जा सकता है तथा कार्यालय अवधि में जिला आपदा प्रबंधन शाखा, समाहरणालय सहरसा से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी,
सहरसा।

समाहरणालय, सहरसा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक .... / आ०प्र०

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सहरसा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

सहरसा, दिनांक .... 2020 ई०।

विषय :– कोराना वायरस (Covid-19) संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक सामग्रियों का क्रय हेतु निविदा प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोराना वायरस (Covid-19) संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक सामग्रियों का क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा की सूचना की 02 (दो) प्रतियाँ एवं 01 (एक) सी०डी० इस पत्र के साथ सलंग्न कर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि इस अल्प कालीन निविदा को व्यापक रुप से पढ़े जाने वाले दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के अतिरिक्त एक उर्दू एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलंग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 359-2 / आ0प्र0,सहरसा दिनांक– 01-05 – / 2020 ई०।

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहरसा जिला/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/अनुमंडल पदाधिकारी,सदर सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। निविदा की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित इस अल्पकालीन निविदा का प्रेस कतरन आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : तकनीकी निदेशक–सह– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा/आई0टी0 मैनेजर, सहरसा को निविदा की प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यकयक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि: आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
सहरसा।